न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 170 / 2020

दिनांक–07.09.2020

विकास पुत्र राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र जाति जाट निवासी हिम्मतपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

सुनिता देवी उर्फ सावित्री देवी पत्नी श्री राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र जाति जाट निवासी हिम्मतपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री नेमीचन्द
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती
बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 26.11.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम देवगांव नूआ की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 49 पुराना 40 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 99 रकबा क्रमशः 0.0500, 3.80, 1.79 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.64 हैक्टर स्थित है उपरोक्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादीगण अपने हिस्से पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते है। हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है उपरोक्त वाद केवल वादी संख्या 02 सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र की जगह सही नाम सुनिता देवी उर्फ सावित्री देवी पत्नी राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र तथा अन्य खातेदारान के पिता राजेन्द्र के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र दुरूस्त करवाने के अलावा अन्य कोई सिद्धि नही चाही गई है। हिस्से बाबत उपरोक्त वाद मे वादी द्वारा कोई सिद्धि नही चाही गई है।

वादीगण के पिता/पति राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र का देहान्त करीबन 13 वर्ष पहले हुआ था तब उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ तब वादीगण के पिता/पति जितेन्द्र को राजेन्द्र के नाम से भी जाना जाता था तथा वादीया संख्या 02 सावित्री देवी को सुनिता देवी के नाम से भी जाना पहचाना जाता था इसलिये राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज किये जाते समय पटवारी ने गलती से वादीगण के पिता/पति का नाम अकेला राजेन्द्र ही दर्ज कर दिया था जबकि वादीगण के पिता/पति का राजस्व रिकार्ड राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र के नाम से दर्ज होना चाहिए था और वादीया संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

का नाम सुनिता देवी उर्फ सावित्री दर्ज पत्नी राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र दर्ज होना चाहिए था वादीया संख्या 2 का पहचान पत्र आधार कार्ड आदि दोनो नामो से ही बने हुये है जो सही बने हुये है इसलिए राजस्व रिकार्ड मे वादीगया संख्या 2 का नाम सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र व वादी संख्या 1 के पिता का नाम राजेन्द्र दर्ज है जो गलत दर्ज है, जो गलत दर्ज है, जो परिवार वालो की गलती व भूलवश दर्ज हो गया था जिसका प्रार्थीगण को कोई ज्ञान नही था। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी वादीया संख्या 2 का नाम सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र व वादी संख्या 1 के पिता का नाम राजेन्द्र के स्थान पर वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र व वादीया संख्या 2 का नाम सुनिता देवी उर्फ सावित्री देवी पत्नी राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र दर्ज किया जाना न्यायोचित है ओर इसी नाम की प्रविष्टि की जाकर शुद्धि की जावे। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का गलत नाम दर्ज होने से कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादीगण का नाम अन्य रिकार्ड से मेल नही खाता है जबकि उक्त गलती सहवन व भूलवंश हुई है ऐसी हालत मे वादीगण के लिये यह दावा बावत घोषणार्थ को पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद के लिए वादाधिकार वादीगण द्वारा अपने निजी कार्य से दिनांक 02.09.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली व गलत रिकार्ड का पता लगने के रोज पैदा हुआ, व इस प्रकार के वाद के लिए खातेदार को हमेशा वादकारण करता है और अदालत वाला को हक समायत हासिल है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम हिम्मतपुरा पटवार हल्का देवगांव नूआ की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 49 पुराना 40 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 99 रकबा क्रमशः 0.0500, 3.80, 1.79 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.64 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया संख्या 2 का नाम सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र व वादी संख्या 1 के पिता का नाम राजेन्द्र की जगह वादी संख्या 1 विकास व अन्य दर्ज खातेदारान राकेश, संजीव हितेश के पिता का नाम राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र व वादीया संख्या 2 का नाम सुनिता देवी उर्फ सावित्री देवी पत्नी राजेन्द्र उर्फ जितेन्द्र घोषित किया जावे इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार तहसील नवलगढ को लिखा जावे। अन्य सिद्धि जो चाहे जोने से रह गई हो ओर वादी के हक में पडती हो दिलाई जावे।

प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम हिम्मतपुरा पटवार हल्का देवगांव नूआ के भूम खसरा नम्बर 68, 69, 99 रकबा क्रमशः 0.0500, 3.80, 1.79 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.64 हैक्टर की खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह वगैरह के नाम दर्ज है। उक्त नाम दुरूस्ती वाद जांच करने पर खातेदारान सुनिता के भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड मे सावित्री देवी पत्नी जितेन्द्र तथा मतदाता पहचान पत्र में सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह दर्ज है। खातेदार सुनिता देवी के पति स्व0 राजेन्द्र सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र में राजेन्द्र सिंह पुत्र ताराचंद तथा मतदाता पहचान पत्र में राजेन्द्र सिह पुत्र ताराचन्द दर्ज है। सुनिता देवी के पुत्र की आधार कार्ड में विकास पूनियां पुत्र राजेन्द्र पूनियां दर्ज है। सुनिता देवी व सावित्री देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा राजेन्द्र व जितेन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम है।

अतः राज पैरोकार तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रार्थीगणो के नाम दुरूस्ती की अभिशंषा भी की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, में प्रार्थी का नाम विकास पूनियां पुत्र राजेन्द्र पूनियां व सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम हिम्मतपुरा पटवारी हल्का देवगांव नूआ की सरहद में नई खाता संख्या 49 पुराना 40 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 99 रकबा क्रमशः 0.0500, 3.80, 1.79 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 5.64 हैक्टर में से प्रार्थी विकास पूनिया पुत्र श्री राजेन्द्र पूनियां एवं सुनिता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह एवं जमाबंदी सम्वत 2075–2078 में शेष खातेदारान राकेश, संजीव, हितोश के स्थान पर विकास पूनियां पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ जीतेन्द्र सिंह, सुनिता उर्फ सावित्री पत्नी राजेन्द्र सिंह उर्फ जीतेन्द्र सिंह, हितेश पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ जीतेन्द्र सिंह, राकेश पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ जीतेन्द्र सिंह तथा संजीव पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ जीतेन्द्र सिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner